भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2314
दिनांक 06.08.2024 को उत्तरार्थ

पंचायत स्तरीय मध्यस्थता केंद्र

2314. ऐडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्री तनुज पुनिया:
डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या ***पंचायती राज*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंचायत स्तरीय मध्यस्थता केंद्रों के लिए केंद्र सरकार के हाल के प्रस्ताव के संबंध में हुई प्रगति की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार इसका समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में किसी विशिष्ट विधान पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग) भारत सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 लागू किया है, जिसका उद्देश्य विवादों के समाधाम के लिए मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता, को बढ़ावा देना और उसे सुविधाजनक बनाना है। यह अधिनियम मध्यस्थता संस्थानों और मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने, मध्यस्थता संस्थानों और मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए मानदंड निर्दिष्ट करने और देश में मध्यस्थता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाता है। पंचायत स्तर पर मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना के संबंध में भारत सरकार द्वारा किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

****